POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

# ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जून, 2022 मूल्य 50 पैसे

## आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! भारत में पैकेटबंद खाने का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में वसा, शुगर और नमक की मात्रा अधिक होने से कैंसर, मोटापा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी अनेक गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है।

पैकेटबंद खाने की चीजों में वसा, शुगर, नमक की अधिकतम मात्रा के मानक दुनियाभर में तय है। मानकों से ज्यादा मात्रा होने पर पैकेट के ऊपरी भाग पर 'स्वास्थ्य के लिए हानिकारक' जैसा चेतावनी लेबल लगाना पड़ता है। दो साल पहले भारत में भी यह मानक तय हुए, लेकिन कंपनियों के दबाव में ये लागू ही नहीं हुए। अभी भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर 'चेतावनी' के लेबल की जगह 'हेल्थ स्टार' रेटिंग (एचएसआर) अपनाने की तैयारी में है।

देशभर में 'कट्स' सहित उपभोक्ताओं की पैरवी करने वाले उपभोक्ता संगठनों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य संगठनों का कहना है कि नागरिकों के हितों की सुरक्षा के मद्देनजर यह जरूरी है कि जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर सामने की ओर सरल व स्पष्ट 'चेतावनी' छापने को अनिवार्य बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह लोगों की सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ साबित होगा और देश बीमारियों के जाल में बुरी तरह फंसता चला जाएगा।

एफएसएसएआई को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे भारत के संविधान में दिए जन स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्याख्या की पालना करनी होगी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने भी उपभोक्ताओं को असुरक्षित और सेहत के लिए नुकसानदेह खाद्य पदार्थों से उचित चेतावनी लेबल के जरिए साफ तौर पर सुरक्षित रहने का अधिकार दिया है।

## खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण की जिम्मेदारी कमिश्नर पर

अब राजस्थान में भी दिल्ली, मुंबई व गुजरात की तर्ज पर फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल दोनों को मिला कर 'फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट' बनेगा। साथ ही दोनों के लिए एक सीनियर आइएएस को कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इससे मिलावटी खाद्य पदार्थों और नकली दवाओं को रोकने की जिम्मेदारी अब बनने वाले कमिश्नर (सीनियर आईएएस) की रहेगी। सरकार सारे अधिकार कमिश्नर को देने की तैयारी में है।

मानना है कि इससे खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं पर रोक लगाना आसान होगा साथ ही भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इसके तहत टोल फ्री हैल्प लाइन नंबर भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है। मौजूदा स्थिति में औषधि नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य भवन स्थित नए भवन में स्थानांतरित हो चुका है। प्रदेश में संचालित नि:शुल्क दवा योजना के तहत संचालित दवा वितरण केंद्रों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति होगी। फार्मासिस्ट नहीं मिलने पर कार्रवाई की जा सकेगी। जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

## बैंक ग्राहक को गिरवी रखे जेवरात वापस लौटाए और हर्जाना भी दें

बैंक से गोल्ड ऋण लेने के मामले में उपभोक्ता से बैंक के विवाद पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है। मामले के अनुसार एस.लोगनाथन ने तमिलनाडू स्थित त्रीची क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक में जेवरात गिरवी रख कर ऋण लिया था। बैंक ने उनके किसी धोखाधड़ी के केस के आधार पर उनसे ऋण राशि की बकाया राशि लेने से इन्कार कर दिया और गिरवी जेवरात नहीं लौटाए। उन्होंने उपभोक्ता राज्य आयोग में मामला दर्ज कराया, जिसमें राज्य आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया। राज्य आयोग के फैसले के खिलाफ बैंक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में याचिका दर्ज कराई।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने धनलक्ष्मी बैंक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी ग्राहक पर कोई धोखाधड़ी के केस के आधार पर उससे गोल्ड ऋण की बकाया राशि लेने से इन्कार करना और जेवरात वापस लौटाने से मना करना गैरकानूनी है। राष्ट्रीय आयोग ने धनलक्ष्मी बैंक को आदेश दिया कि वह राज्य आयोग के फैसले के अनुसार अपने ग्राहक से बकाया ऋण राशि व ब्याज ले और उसके गिरवी जेवरात उन्हें वापस करें। साथ ही बैंक की वजह से उपभोक्ता एस.लोगनाथन को हुई मानसिक परेशानी की एवज में उन्हें 50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर भी अदा करें।

## भारी पड़ा गरीबों का निवाला छीनना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वितरित होने वाले गेंहू की पिछले वर्षों की सूचियों से जांच की गई थीं। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग इन सूचियों में जुड़कर गरीबों के हक का निवाला छीन रहे थे। इनमें प्रदेश के 83 हजार से भी अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का भी खुलासा हुआ जो खाद्य सुरक्षा योजना का गैरवाजिब फायदा ले रहे थे।

इनमें से 66 हजार से भी ज्यादा सरकारी कर्मियों से 81 करोड़ 13 लाख रुपए से भी ज्यादा की वर्तमान बाजार दर से वसूली की जा चुकी है। गौरतलब है कि अभी भी 17 हजार 123 अधिकारी-कर्मचारी ऐसे है जो नोटिस के बाद भी उठाए गए राशन की कीमत जमा नहीं करवा रहे। अब इनके खिलाफ विभाग पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है।

## ग्राम पंचायतों की होगी आय में बढ़ोतरी

ग्राम पंचायत क्षेत्र के तालाब और चरागाह में होने वाली प्राकृतिक उपज की निलामी के अधिकार अब आवश्यक तौर पर ग्राम पंचायतों के पास रहेंगे। राज्य सरकार ने यह कदम ग्राम पंचायतों की आय में बढ़ोतरी के लिए बढ़ाया है।

पंचायती राज सचिव नवीन जैन ने ग्राम पंचायतों के अधिकार के संबंध में इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में राज्य सरकार ने इस बात का भी हवाला दिया है कि नीलामी और तालाबों के पट्टे जारी करने संबंधी अधिकार ग्राम पंचायतों के पास है। आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतें तालाबों में मत्स्य विकास, सिंघाड़े और कमल जड़ उत्पादन आदि के पट्टे जारी कर सकेंगी तथा चरागाह के वृक्षों की प्राकृतिक उपज को नीलामी के जरिए बेच सकेंगी।

## मनरेगा के तहत बनेंगे 'अमृत सरोवर'

भविष्य में संभावित जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में मनरेगा के तहत एक-एक एकड़ भूमि में 75 अमृत सरोवर बनेंगे। योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 व देश में 50 हजार अमृत सरोवर का निर्माण होगा।

इसके लिए सिंचाई विभाग को जमीन चिह्नित करने का जिम्मा सौंपा गया है। ग्रामीण इलाकों में एक एकड़ भूमि पर लगभग 10 हजार क्यूबिक मीटर भंडारण क्षमता के आधुनिक तकनीक से यह जलाशय विकसित किए जाएंगे। इससे पानी का संरक्षण होगा और भूजल स्तर सुधरेगा। निर्माण स्थल के आस-पास सघन वृक्षारोपण भी कराया जाएगा।

## सीखेंगे खाना बर्बाद नहीं करने का पाठ

संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर व्यक्ति सालाना करीब 50 किलो भोजन बर्बाद कर देता है। इसे बचा कर लाखों जरूरतमंद लोगों की भूख मिटाई जा सकती है।

केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब स्कूली बच्चों को बचपन से ही खाने को बर्बाद नहीं करने का पाठ पढ़ाया जाए। स्कूल में बच्चों को बताया जाए कि अक्सर थाली में झूठा छोड़ दिए जाने वाले भोजन की क्या अहमियत हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में एक पाठ ऐसा बनाएं जिससे बच्चों को भोजन की बर्बादी न करने की अहमियत सिखाई जा सके। उदाहरण के तौर पर बच्चों को यह सिखाया जाए कि उतना ही डालो थाली में, जितनी हो भूख, ताकि बाकी बचा भोजन किसी जरूरतमंद की भूख को मिटा सके।

## कोरोना के कारण लोगों ने चुना शाकाहार

कोरोना के कारण पिछले दो सालों में भारत ही नहीं दुनियाभर में खान-पान को लेकर तौर-तरीका बदला है। लोगों को यह बात समझ में आ गई कि स्वास्थ्य और लम्बी आयु के लिए शाकाहार से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। शाकाहारी भोजन में अधिक फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन ए, सी, व ई अच्छी मात्रा में होता है। इससे करीब 120 बीमारियां दूर रहती हैं।

ब्रिटेन की फर्म 'यूगोव' के हाल ही किए गए एक अध्ययन में साफ हुआ है कि 65 फीसदी भारतीयों ने वर्ष 2022 में शाकाहारी भोजन का विकल्प चुना है। राजस्थान देश का प्रमुख शाकाहारी राज्य है। यहां पहले से ही 74.9 फीसदी लोग शाकाहारी हैं। अच्छी सेहत के मद्देनजर अमरीका, ब्रिटेन व कनाड़ा सहित 10 अन्य देशों में भी शाकाहार का चलन बढ़ा है।

## सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध

देश में एक जुलाई, 2022 से एकबारगी उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमारी पृथ्वी, जल और वायु के प्रदूषण के प्रकोप को रोकने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि आज इंसान ने प्लास्टिक को अपने सुगम जीवन का साधन मान लिया है, जबकि प्लास्टिक का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यह कई तरीकों से हमारे शरीर में पहुंचकर हमें कई गंभीर बीमारियों की ओर धकेलता है। इससे हृदय, फेफड़े, यकृत और गुर्दे तो प्रभावित होते ही हैं साथ ही यह हमारे विभिन्न अंगों में कैंसर की संभावना को भी प्रबल बनाता है। अब हर व्यक्ति को किसी भी हालत में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ लेनी होगी।

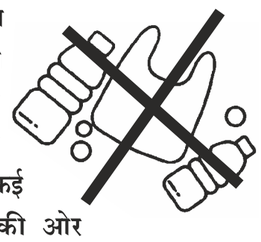

## रोजगार गारंटी योजना को मिली मंजूरी

प्रदेश के शहरी बेरोजगारों को शहर में ही रोजगार देने की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अकुशल श्रमिक को 259 रुपए, अर्द्धकुशल को 271 रुपए, कुशल श्रमिक को 283 रुपए तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।

सरकार ने इस योजना को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को अहम जिम्मेदारी दी है। योजना में ज्यादातर प्रस्तावित कार्य वही हैं जो स्थानीय निकाय करा रहे हैं। इसमें जलस्त्रोतों के रखरखाव से लेकर घर-घर कचरा संग्रह, नाला सफाई, अवैध होर्डिंग-पोस्टर हटाने, लावारिस पशुओं को पकड़ने व पर्यावरण संरक्षण जैसे कई काम शामिल हैं।

## चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है भ्रष्टाचार

पिछले तीन सालों में प्रदेश में भ्रष्टाचार 22 प्रतिशत बढ़ा है। यह प्रदेश की विकास दर से 4 गुना ज्यादा है। जनवरी 2016 से नवंबर 2021 तक सभी प्रमुख विभागों में भ्रष्टाचार 11 से 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस व रेवेन्यू विभाग टॉप पर रहे हैं।

पिछले छह सालों में पंचायतीराज विभाग में रिश्वतखोरी के मामले 60 फीसदी बढ़े हैं। ग्रामीण सरकार के सरपंच, वार्डपंच और प्रधान घूसखोरी में आगे रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के डीजी, बी.एल.सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कॉल सेंटर दोबारा शुरू करने से भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा शिकायतें आने लगी हैं और एसीबी उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है।

## जैविक खेती को बढ़ावा

ग्राम गदर

गांव बाढ़ देवथला में 'कट्स' द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जैविक खाद बनाने, खेत तैयार करने, बीज तैयार करने, फसल में रोगों की पहचान करने, कीटनाशक दवा तैयार करने, पौधारोपण व जल संरक्षण जैसी बहुत सी जानकारियां दी गई।

कार्यक्रम में मैंने भी हिस्सा लिया। कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी गई उक्त जानकारियां क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभदायक होंगी। 'कट्स' संस्था द्वारा जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए जो काम किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है।

-जगदीश प्रसाद कनिनवाल
गांव बाढ़ देवथला, चौमू

## किसान हो रहे हैं बिजली में आत्मनिर्भर

पिछले तीन चार सालों से किसानों की जागरूकता ने उन्हें बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना दिया है। बीते एक साल में प्रदेशभर में 4352 किसानों ने सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत किसानों के खेतों में अब बिजली उत्पादन हो रहा है।

इस अभियान का असर अब दिखाई देने लगा है। इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। अब किसान अपने खेत में अपनी मर्जी से सिंचाई कर सकता है। उसे सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

## स्वयं सहायता समूह होंगे आत्मनिर्भर

सरकार राजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित कर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। महिला समूहों के लिए अब महिला बैंक बनाएं जाएंगे। हर महिला समूहों को इन बैंकों के माध्यम से ऋण मिल सकेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने राजीविका परियोजना के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजित 'समूह संबल सवांद' कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सरकार महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है।

## 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा

जैसा कि विदित है ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इसी क्रम में इस साल 'विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी' विषय पर प्रविष्ठियां आमन्त्रित की गई। प्राप्त प्रविष्ठियों में से निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से जोधपुर जिले के पत्रकार डॉ.जय कुमार भाटी को वर्ष 2021 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

डॉ. जय कुमार भाटी पुत्र भंवर लाल भाटी जोधपुर जिले में स्थित पावटा के मूल निवासी हैं तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण में कार्यरत हैं। डॉ.भाटी को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर